न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या : 8/2023
दायर दिनांक : 29.03.2023
निर्णय दिनांक : 02.07.2024

1. कमलादेवी पत्नी नहनूराम जाति खटीक, निवासी पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा
2. हजारी पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा
3. रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा
4. राधे पुत्र मूलचन्द उर्फ मूल्या जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजन्ती पत्नी हजारीलाल जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा
6. सन्ती पत्नी रामस्वरूप जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा
7. सुनीता पत्नी राधेश्याम जाति मीना, निवसी ग्राम भगलाव तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा की रहने वाली है। अप्रार्थी संख्या 1 राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार भाण्डारेज जिला दौसा पत्थरगढी प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पडौसी खातेदारान हैं। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 22 खसरा नम्बर 18/1 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 18/3 रकबा 0.35 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है० वाके ग्राम नांगलचापा तहसील भाण्डारेज में स्थित है। प्रार्थी उक्त भूमि की खातेदार काबिज काश्तकार दर्ज है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार दौसा के आदेश से दिनांक 10.06.2022 को प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान किया गया। भविष्य में पडौसी खातेदार व प्रार्थी के मध्य अपनी उक्त खातेदारी की मेड को लेकर कोई विवाद नहीं हो व प्रार्थी अपनी भूमि की सीमाओं के अन्दर महदूद भूमि में सुख शान्ति से काश्त कर सके व पडौसी खातेदारों द्वारा मेड तोडने के विवाद से बचने हेतु प्रार्थी की उक्त भूमि का जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 22 खसरा नम्बर 18/1 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 18/3 रकबा 0.35 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है० वाके ग्राम नांगलचापा तहसील भाण्डारेज का राजस्व टीम गठित कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढी करने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण संख्या : 8/2023
कमलादेवी बनाम राज. सरकार वगै.
निर्णय दिनांक : 02.07.2024

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 7 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने, प्रश्नगत आराजी का पूर्व में सीमाज्ञान किया जाने एवं किसी न्यायालय का स्थगन न होने का कथन किया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता है। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम नांगल चापा तहसील भाण्डारेज स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 18/1 रकबा 0.35 है०, खसरा नम्बर 18/3 रकबा 0.35 है० कुल किता 2 कुल रकबा 0.70 है० का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थी से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थी के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा